न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–214 / 2023 दायर दिनांक– 4.8.2023

GCMS NO:- 2023/337 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. केली बाई पुत्री छीतर जाति बैरवॉ नि0 रालडी।
2. प्रहलाद आ0 छीतर जाति बैरवॉ नि0 रालडी।
3. फूलाबाई पुत्री छीतर जाति बैरवॉ नि0 रालडी।
4. बाबूलाल आ0 छीतर जाति बैरवॉ नि0 रालडी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत रजलावता जर्ये सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत रजलावता।
2. ग्राम पंचायत रजलावता जर्ये सचिव महोदय, ग्राम पंचायत रजलावता।
3. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री महावीर नागर, श्री रामराज नागर।

निर्णय दिनांक 22.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रालडी प0म0 रजलावता मे भूमि खसरा नम्बर 446 / 385 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थीगण से रंजिश रखते है इस कारण दुर्भावना पूर्वक बिना किसी हक या अधिकार के अवैघ व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से विवादित भूमि पर कचरा संग्रहण केन्द्र स्थापित कर प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यही वाद का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 446 / 385 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण यदि पत्थरगढी करवाते है तो इसमे उन्हे कोई आपत्ती नही होना लिखित मे अवगत कराया। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र को पेश किये लगभग 20 माह का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रालडी प0म0 रजलावता मे भूमि खसरा नम्बर 446 / 385 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवॉ